फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री सन्तोष कुमार जैन सेवानिवृत्त अति.प्रशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय निवासी बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी अलवर।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा न. 58 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
26.05.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलाट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 01.04.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट को पदौन्नति के सम्बन्ध में कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही की प्रार्थना पत्र में अंकित आठ बिन्दुओं की सूचना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया था उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 01.04.2021 को प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि अपीलांट को पदौन्नति के सम्बन्ध मे कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही की प्रार्थना पत्र में अंकित आठ बिन्दुओं की सूचना से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया था कि उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाई से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक 254 दिनांक 09.04.2021 को लिखा गया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट है। अतः अपीलांट चाहे तो कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अभिलेख का निरीक्षण करे तदुपरान्त निरीक्षण उपरान्त चिन्हित किए गए उस अभिलेख की सूचना पर कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही द्वारा नियमानुसार कार्यवाई की जा सकती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:57:02 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner